राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – शिवपाल जाट, आर.ए.एस.

मुकदमा नंम्बर– 90/2019

सवाई सिंह पुत्र बचन सिंह उम्र 75 वर्ष जाति राजपूत निवासी ढाणी कुछाली ग्राम अजयनगर पटवार हल्का रामकुमारपुरा तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज.

..... वादी

ब–ना–म

1. भंवरी देवी पत्नी स्व. मदन सिंह पुत्रवधु स्व. गणपत सिंह
2. उदय सिंह पुत्र स्व. मदन सिंह पौत्र गणपत सिंह
3. गोविन्द सिंह पुत्र स्व. मदन सिंह पौत्र गणपत सिंह
4. जयरम सिंह पुत्र स्व. मदन सिंह पौत्र गणपत सिंह
5. महेन्द्र सिंह पुत्र स्व. मदन सिंह पौत्र गणपत सिंह
6. बीरसिंह पुत्र स्व. मदनसिंह पौत्र गणपत सिंह जाति राजपूत निवासी ढाणी कुछाली ग्राम अजयनगर पटवार हल्का रामकुमारपुरा तहसील खेतड़ी।
7. मुकेश कंवर पुत्री स्व. मदनसिंह पत्नी प्रभूसिंह राजपूत निवासी भादवाडी वाया कांवट तहसील खण्डेला जिला सीकर, राज0
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....प्रतिवादीगण

दावा– घोषणात्मक व खाता विभाजन

निर्णय **दिनांक :–21–10–2020**

वादी की ओर से वाद पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि वादी ने प्रतिवादी सं. 1 लगायत 7 के पूर्वज गणपत सिंह पुत्र रामलाल सिंह से उनकी खातेदारी भूमि में से दिनांक 17.8.1981 को भूमि गत खसरा नंबर 6357 रकबा 14 बिस्वा, खसरा नंबर 6360 रकबा 18 बिस्वा, ख.नं. 6361 रकबा 1 बीघा 16 बिस्वा कुल किता 3 कुल रकबा 3 बीघा 8 बिस्वा पुख्ता भूमि जरिये विक्रय पत्र खरीद की थी और विक्रेता ने वादी का विक्रित भूमि पर विक्रय के दिन ही कब्जा करवा दिया था तभी से वादी उक्त भूमि पर बहैसियत खतेदार काश्तकार चला आ रहा है। विक्रेता गणपत सिंह पुत्र रामलाल सिंह फौत दिनांक 10.12.1983 को हो चुका है। उसका एक मात्र वारिश/उत्तराधिकारी मदन सिंह था वह भी फौत हो चुका है। प्रतिवादीगण विक्रेता गणपत सिंह की पुत्रवधु व पौत्र पौत्री है जिन्हें पक्षकार बनाया गया है। विक्रेता गणपत सिंह पुत्र रामलाल सिंह वादी का सगा ताऊ लगता था। गत खसर नंबर 6357, 6360, 6361 के हाल सैटलमेंट में 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3351, 3351, 3344, 3354, 3355, 3357 बने हैं। विक्रेता गणपत सिंह तथा उसके भाई बचन सिंह, श्योपाल सिंह श्योनारायण सिंह पुत्रान रामलाल सिंह ने अपने सामलाती खाते की भूमि का बाहमी बंटवारा कर लिया था। उसके बाद में उक्त चारों भाईयों के वारिशान ने भी अपनी सम्पूर्ण भूमि का कागजात माल में खाता विभाजन करवा लिया था जो अब अलग–अलग खातों मं दर्ज है। ग्राम पपुरना के हाल सैटलमेंट के बाद में कई नये राजस्व ग्राम बनाये। वादी की उक्त भूमि राजस्व ग्राम अजयनगर में चली गई राजस्व ग्राम अजयनगर स्थित जमाबंदी संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता सं. 144 के

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.27 11:23:56 IST
Reason: SelfAttested

ख.नं. 3344 रकबा 0.23 है., ख.नं. 3353 रकबा 0.03 है., ख.नं. 3358 रकबा 0.17 है., ख. नं. 3365 रकबा 0.13 है., ख.नं. 2407 रकबा 0.15 है., ख.नं. 3408 रकबा 0.20 है., ख.नं. 3409 रकबा 0.20 है., ख.नं. 3410 रकबा 0.20 है., ख.नं. 4136/3368 रकबा 0.08 है. कुल किता 9 कुल रकबा 1.39 है. प्रतिवादीगण के नाम से दर्ज रिकार्ड है। इस खाते में वादी की विक्रित भूमि ख.नं. 3344 रकबा 0.23 है. जिसका गत ख.नं. 6360 विक्रय पत्र में दर्ज है। ग्राम अजयनगर स्थित जमाबंदी संवत् 2073 लगायत 2076 के खाता सं. 210 के ख.नं. 3337 रकबा 0.51 है., ख.नं. 3338 रकबा 0.39 है., ख.नं. 3343 रकबा 0.38 है., ख. नं. 3345 रकबा 0.09 है., ख.नं. 3346 रकबा 0.10 है., ख.नं. 3347 रकबा 0.13 है., ख.नं. 3348 रकबा 0.14 है., ख.नं. 3349 रकबा 0.05 है., ख.नं. 3350 रकबा 0.05 है., ख.नं. 3351 रकबा 0.05 है., ख.नं. 3352 रकबा 0.08 है., ख.नं. 3354 रकबा 0.38 है., ख.नं. 3355 रकबा 0.08 है., ख.नं. 3356 रकबा 0.17 है., ख.नं. 3357 रकबा 0.26 है., ख.नं. 3359 रकबा 0.01 है., ख.नं. 3360 रकबा 0.17 है., ख.नं. 3361 रकबा 0.17 है., ख.नं. 3363 रकबा 0.18 है., ख.नं. 3364 रकबा 0.05 है. कुल किता 20 कुल रकबा 3.44 है. दर्ज रिकार्ड है। वादी के गत ख.नं. 6357 व 6361 की भूमि इस खाते में दर्ज हो गयी जिसके हाल ख.नं. 3348 रकबा 0.14 है., ख.नं. 3354 रकबा 0.38 है., ख.नं. 3355 रकबा 0.08 है. बने है जिस पर वादी काबिज है उक्त खाते में प्रतिवादीगण के हिस्से की भूमि वादी की है। इस खाते में अन्य खातेदार भी दर्ज रिकार्ड है लेकिन वादी की विक्रित भूमि से उनका कोई सम्बन्ध नहीं है। न हीउनके खिलाफ कोई अनुतोष चाहा है। इसलिये उन्हें पक्षकार बनाने की आवश्यकता नहीं थी। इसलिये उन्हें पक्षकार नहीं बनाया। वादी ने विक्रय पत्र दिनांक 17.8.1981 को अपने हक में करवाने के बाद उक्त विक्रय पत्र को घर पर रख लिया। इस कारण उस समय उक्त विक्रय पत्र का नामांतकरण वादी के हक में नहीं हो पाया।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन किया है कि –

(क) ग्राम अजयनगर स्थित जमाबन्दी संवत् 2073 लगायत 2076 के खता सं. 144 में से खसरा नंबर 3344 रकबा 0.23 है. का तथा खाता सं. 210 में से खसरा नंबर 3348 रकबा 0.14 है., ख.नं. 3354 रकबा 0.38 है., ख.नं. 3355 रकबा 0.08 है. कुल रकबा 0.83 है. का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर तद्नुसार रिकार्ड राजस्व में अमल कराया जावे।

(ख) ग्राम अजयनगर स्थित जमाबन्दी संवत् 2073 लगायत 2076 के खता सं. 144 में से खसरा नंबर 3344 रकबा 0.23 है. का तथा खाता सं. 210 में से खसरा नंबर 3348 रकबा 0.14 है., ख.नं. 3354 रकबा 0.38 है., ख.नं. 3355 रकबा 0.08 है. का खाता विभाजन किया जाकर वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में अलग खाता कायम किया जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सम्यक् सूचना के अनुपस्थित रहने पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

वादी की ओर से साक्ष्य अभिलेख में नकल बिचौती पत्र दिनांक 17.8.1981, नकल जमाबंदी संवत् 2073–2076 खाता सं. 144, खाता सं. 210 ग्राम अजयनगर, मिलान क्षेत्रफल पेश किया तथा साक्ष्य में शपथ पत्र सवाई सिंह पुत्र बचन सिंह का भी पेश किया।

बहस विद्वान अधिवक्ता वादी सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात एवं वाद पत्र के अभिवचनों का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। वादी ने उक्त वाद के जरिये घोषणात्मक व खाता विभाजन का अनुतोष चाहा है। वादी ने वाद वर्णित

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.27 11:23:56 IST
Reason: SelfAttested

भूमि के सभी खातेदारों को पक्षकार नहीं बनाया है जो आवश्यक पक्षकार हैं, अतः दावा आवश्यक पक्षकारों के अभाव में खारिज होने योग्य पाया जाता है। क्योंकि वाद वर्णित भूमि का अभी तक विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है।

आदेश

अतः वाद वादी खारिज किया जाता है। उक्तानुसार पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21–10–2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

21/10/2020

(शिवपाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी
खेतड़ी (झुन्झुनू)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shivpal Jat
Date: 2020.10.27 11:23:56 IST
Reason: SelfAttested